

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(86)RSMSSB/अर्थना/ना.शि.वि./पीटीआई ग्रेड-III/2018/1528

दिनांक : 04.05.2018

विज्ञापन सं. 09/2018

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III (Physical Training Instructor Grade III) सीधी भर्ती परीक्षा-2018

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2014 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिये शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III के कुल 4500 (चार अनुसूचित क्षेत्र के 3930 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 570) पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं।

विशेष नोट :-

(1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापित को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी।

1. **आवेदन प्रक्रिया:-** आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपना e-mail ID बनाले एवं e-mail ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमें ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के उपरान्त उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई-मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क पर जमा करावे। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन पत्र भरने हेतु + रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाईन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा। यदि आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3067541 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त प्रक्रिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन भर सकता है।

अभ्यर्थी अपने SSO ID एवं password से Login करेंगे। इसके पश्चात् Dashboard पर Ongoing Recruitment पर संबंधित परीक्षा के Apply now link पर Click कर अपना आवेदन भरेगा। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गहनता से जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview देख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। अभ्यर्थी सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click कर अपना आवेदन भरेगा। आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करेंगे। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। OK पर Click करने के बाद

Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ई-मित्र के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। यदि आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन-पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

नोट:-

1. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
3. आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।
4. कृपया ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापित एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञापित एवं उक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।
5. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नम्बर दर्ज करें एवं ई-मेल आई.डी. तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर पर ही भेजी जाती हैं।

2. परीक्षा शुल्क:-आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।

(क) सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रुपये 450/-

(ख) राजस्थान के नॉन कीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रुपये 350/-

(ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -रुपये 250/-

(घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपये 250/- देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 5 भी अवश्य देखें।)

नोट:-

1. आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. राजस्थान राज्य से अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
3. फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
4. फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में सामान्यतः परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
5. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रुपये 250/- ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र भी अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक रूप से अपलोड करें।

3. प्रवेश पत्र:-बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कमांक एवं जन सुविधा (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (e-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

4. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:-

(क) गैर-अनुसूचित क्षेत्र

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				बादा जिले की सहरिया आदि जाति हेतु आरक्षित				क्षैतिज आरक्षण (Horizontal)		
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	विशेष योग्यजन ONLY LD/CP	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
3830	1428	406	182	27	440	121	48	2	330	93	31	1	573	164	80	5	25	01	-	-	12	3	1	-	44	479	64

(ख) अनुसूचित क्षेत्र

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				क्षैतिज आरक्षण (Horizontal)		
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	निश्चयजन ONLY LD/CP	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
670	206	58	22	4	20	6	0	0	180	52	20	3	05	70	10

नोट:-

- गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे।
- महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजन के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो इसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

विशेष सूचना:-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अर्थपूर्ण उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्पूर्वती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।
परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्वती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग(अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह —विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम

प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को भी विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

5. अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(2)/डीओपी/ए-11/2017 दिनांक 21.12.2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग की जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 1 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
7. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
8. बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें बांरा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91 पार्ट दिनांक 21.05.2013 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
9. भूतपूर्व सैनिकों हेतु- भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेदन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिक के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-11 दिनांक 17.04.2018 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे।
10. उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 15.03.2013 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्वी वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 15-03-2013 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 15-03-2013 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं, राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने :-

1. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।
या
2. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।
या
3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।
या
4. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

कृपया ध्यान दें कि यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना साक्ष्य गलत आरक्षण श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

11 विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिये :-

- a. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 38 के उप नियम 2(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा केवल निःशक्तजन श्रेणी में Only LD श्रेणी को ही 1.5 प्रतिशत उक्त पद हेतु आरक्षण का लाभ देय है :-
1- LD/CP (Locomotor Disability and Cerebral Palsy) :- OA, OL, OAL, BL
- b. विशेष योग्यजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
- c. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर अधिकार व संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार भरा

जावेगा। विशेष योग्यजन के उक्त नियम के नियम 38(4)के अनुरूप उपरोक्त विशेष योग्यजनों की अनुपलब्धता के कारण अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता तो वहाँ ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा।

- d. विशेष योग्यजन आवेदक On line application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं विशेष योग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
- e. ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी विशेष योग्यजन के सम्बन्ध में राजस्थान नि:शक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 2(1)(b) के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान नि:शक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त नि:शक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

5. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

1. अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
2. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अनिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13(20) कार्मिक/क-2/81/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
4. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम-2014 के अधीन होगा। जहाँ पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहाँ पर राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के प्रावधान लागू होंगे।
5. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश में उपलब्ध है।

नोट:- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने, ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

6. **वेतनमान:-** राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतनमान के अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III के पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

7. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

- (i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में स्नातक(बी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र (सी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा(डी.पी.एड.)

- (ii) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

आवश्यक नोट:- परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका/चुकी है या उपस्थित हो रहा /रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु उसे -

1. जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के दो प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व,
 2. जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,
 3. जहाँ चयन केवल लिखित परीक्षा या यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,
- समुचित चयन एजेन्सी/बोर्ड को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता लिखित परीक्षा की तिथी तक अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।

अन्य योग्यताएँ :-

- (1) **स्वास्थ्य** :- उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चर्चनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य प्रिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा इस्ताहरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
- (2) **चरित्र** :- सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सचचरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य / शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नही हो।

8. राष्ट्रीयता :-

1. (क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।
परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र दे दिया हो।
ऐसे अभ्यर्थियों के जिनके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, आयोग या अन्य किसी भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अधधीन अनन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।
2. **अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्त:-** इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

9. आयु :- आवेदक 1, जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो,

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

1. आयु सीमा में छूट के प्रावधान :-
(क) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
3. उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धी के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।
4. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जावेंगे।
5. रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशनड ऑफिसर/सोर्ट सर्विस कमीशनड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हो, पात्र समझा जावेगा।
6. आयोग के कार्य-क्षेत्र के भीतर न आने वाले पदों पर भर्ती के लिए उन व्यक्तियों की, जिनकी रिक्ति के अभाव में या पद की समाप्ति के कारण राज्य सरकार की सेवा से छंटनी कर दी गयी थी, ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष होगी बशर्ते कि वे उन पदों पर, जिन पर से उनकी प्रथमतः छंटनी की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम आयु सीमा में

थे परन्तु यह तब जबकि भर्ती के सामान्य विहित माध्यमों की सम्यक् रूप से अनुपालना कर ली जाये और अहंता, चरित्र, चिकित्सीय आरोग्यता आदि से संबंधित समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली जाये तथा उनकी छंटनी शिकायत या उपचार के कारण नहीं हुई हो और वे अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया अच्छी सेवाओं का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें।

7. एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
8. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे हैं की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
9. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
10. पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
11. विधवाओं और विवाह-विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।
स्पष्टीकरण:- विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह-विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलने) नियम, 1988 में निहित प्रावधान के तहत भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध इनकी ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु क्राम/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 02 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में रियायत के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 के अनुसार भी लागू होंगे।
13. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान निःशक्तजन व्यक्तियों का समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्णभागीदारी) नियोजन नियम 2011 के अनुसार विशेष योग्यजन को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय होगी:-
 1. सामान्य वर्ग के विशेष योग्यजन हेतु 10 वर्ष
 2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के विशेष योग्यजन हेतु 13 वर्ष
 3. अ0जा0/अ0ज0जा0 के विशेष योग्यजन हेतु 15 वर्ष

नोट:-

- (क) संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो। आवेदक के अधिकायु का होने पर उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
- (ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
- (ग) उपरोक्त बिन्दु 9 की क.सं. 1 से 13 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त क.सं. 1 से 13 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

10. अंशदायी पेंशन:-

नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

11. **विवाह पंजीयन:-** शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

12. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-

- (क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 31.05.2018 से 29.06.2018 को मध्य रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है।
- (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 31.05.2018 से 29.06.2018 को को मध्य रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते हैं (इसके उपरान्त लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इस्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

13. परीक्षा का माह एवं दिनांक:- शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा **संभवतया माह, अगस्त 2018** में आर्बिटल परीक्षा केंद्रों पर करवाई जायेगी। **यह भर्ती परीक्षा ऑनलाईन भी करवाई जा सकती है।** इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :- सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोजता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

15. नियुक्ति की अयोग्यताएं :-

(1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती,

परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वोक्त प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वोक्त प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांटे-छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

16. आवेदन कैसे करे:-

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की कीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर एवं नॉन कीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दे:-

- आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का On line Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
- बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत

कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अनिवार्य नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थायी रूप से घयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

6. अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

7. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश

फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
- c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
- d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
- e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- f. यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
- g. आवेदक की फोटो में काता या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
- h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
- i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सेल) होना चाहिए।
- j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
- k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
- b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
- c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
- d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- e. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
- f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
- g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
- h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- i. मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष टिप्पणी:-

1. परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाकर आपत्तियाँ आमंत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रु जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञापित में बताई जावेगी।
2. परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैंड/रेलवे स्टेशन और रास्तों में छोड़फोड़, लूटपाट, हुड़दंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाए रखें।
3. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा घयन बोर्ड की नहीं होगी।

4. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम रैग्यूलेशन, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मिलित है।
5. सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
6. परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

17. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया :- यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी। इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

18. श्रुत लेखन की सुविधा:- सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अन्य दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या उंगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।

19. प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:- आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी) का लाभ तब ही देय होगा जबकि मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

1. जाति प्रमाण - पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक है।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
7. शैक्षणिक योग्यता, आयु, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं अन्य आवश्यक समस्त मूल दस्तावेज।

20. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:- आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

21. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम:- शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार होगी :-

प्रश्न पत्र-I

1. प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।
2. प्रश्न पत्र की समयावधि 2.00 घन्टे की होगी।
3. प्रश्न पत्र में बहु विकल्प के 100 प्रश्न होंगे।
4. प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे जिनके अंक उनके सामने दर्शाये गये अनुसार होंगे :-

(i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान	80 अंक
(ii) राजस्थान की समसामयिक घटनाएँ	20 अंक
(iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान	60 अंक
(iv) शैक्षिक मनोविज्ञान	40 अंक

योग

200 अंक

5. परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो बोर्ड उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

प्रश्न पत्र-II

1. प्रश्न पत्र अधिकतम 280 अंकों का होगा और (नीचे उल्लेखित टिप्पणी के अनुसार) क्रीडा/टूर्नामेन्ट में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक प्रदान किये जायेंगे।
2. प्रश्न पत्र की समयावधि 2.00 घन्टे होगी।
3. प्रश्न पत्र में बहुविकल्प के 130 प्रश्न होंगे।
4. प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे जिनके अंक उनके सामने दर्शाये गये अनुसार होंगे :-

(i) सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान	60 अंक
(ii) क्रीडा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएँ और इतिहास	40 अंक
(iii) शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त, परिभाषाएँ और इतिहास	20 अंक
(iv) शिक्षा और खेल मनोविज्ञान	20 अंक
(v) शारीरिक शिक्षा की विधियाँ, पर्यवेक्षण और उसके संगठन	20 अंक
(vi) प्रशिक्षण के सिद्धान्त और विनिश्चय	20 अंक
(vii) मूल शरीर रचना का विज्ञान, उसकी क्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा	40 अंक
(viii) मनोरंजन, कैम्प और योग	40 अंक

योग

280 अंक

5. परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो बोर्ड उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

टिप्पणी : (I) क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान किये जाने वाले अंक निम्न प्रकार से होंगे :-

1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने पर या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता	40 अंक
2. राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान	36 अंक
3. राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान	32 अंक
4. राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने पर या राज्य स्तर पर विजेता	28 अंक
5. राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान	24 अंक
6. राज्य स्तर पर तृतीय स्थान	20 अंक
7. राज्य स्तर पर भाग लेने पर या जिला स्तर पर विजेता	16 अंक
8. जिला स्तर पर द्वितीय स्थान	12 अंक
9. जिला स्तर पर तृतीय स्थान	08 अंक
10. जिला स्तर पर भाग लेने पर	04 अंक

टिप्पणी :- (II) स्तर निम्न प्रकार से होंगे :-

1. जिला स्तर — निम्नलिखित दूर्नामेन्टों को जिला स्तर का माना जायेगा :-

- क. प्रारंभिक शिक्षा विभाग का जिला स्तरीय विद्यालय दूर्नामेन्ट।
- ख. माध्यमिक शिक्षा विभाग का जिला स्तरीय विद्यालय दूर्नामेन्ट।
- ग. संस्कृत शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय विद्यालय दूर्नामेन्ट।
- घ. नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का सामूहिक (कलस्टर) स्तरीय विद्यालय दूर्नामेन्ट।
- ङ. विश्वविद्यालयों का अंतर-महाविद्यालय दूर्नामेन्ट।

2. राज्य स्तर — निम्नलिखित दूर्नामेन्टों को राज्य स्तर का माना जायेगा :-

- क. प्रारंभिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय विद्यालय दूर्नामेन्ट।
- ख. माध्यमिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय विद्यालय दूर्नामेन्ट।
- ग. नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय दूर्नामेन्ट।
- घ. अंचल (जोन) स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय दूर्नामेन्ट।

3. राष्ट्रीय स्तर— निम्नलिखित दूर्नामेन्टों को राष्ट्रीय स्तर का माना जायेगा :-

- क. राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विद्यालय खेल परिसंघ (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) द्वारा आयोजित विद्यालय खेल दूर्नामेन्ट।
- ख. राष्ट्रीय या अंतर-अंचल (जोन) स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय दूर्नामेन्ट।

4. अंतर्राष्ट्रीय स्तर— इनमें से किसी एक संगठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दूर्नामेन्ट में भाग लेना — भारतीय विद्यालय खेल परिसंघ (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया), विश्वविद्यालय क्रीड़ा संघ (यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसिएशन) या भारतीय क्रीड़ा परिसंघ (स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया)

टिप्पणी :- (III) क्रीड़ा प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

क. क्रीड़ा प्रमाण-पत्रों पर तब ही विचार किया जायेगा यदि वे राजस्थान क्रीड़ा परिषद के सचिव या संस्थान के प्राधान द्वारा इस उल्लेख के साथ सत्यापित किये गये हों कि भाग लेने वाला संस्था का नियमित छात्र है।

ख. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय विद्यालय खेल परिसंघ, विश्वविद्यालय क्रीड़ा संघ या भारतीय क्रीड़ा परिसंघ के माध्यम से भाग लेने या अर्जित स्थान के क्रीड़ा प्रमाण-पत्र पर तब ही विचार किया जायेगा जब वह संबंधित परिसंघ/संघ द्वारा सत्यापित हों।

पाठ्यक्रम अलग से बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

22. बोर्ड की वेबसाइट:-अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।



(डॉ. बी.एल.जाटावत)
अध्यक्ष